

990

4

984



## Government of Jharkhand

### Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : e69fb29cd897a3d2af63

Receipt Date : 03-Oct-2023 02:11:27 pm

Receipt Amount : 60000/-

Amount In Words : Sixty Thousands Rupees Only

Token Number : 202300129776

Office Name : SRO - Simdega


Document Type : Sale Deed

Payee Name : SHALINI KERKETTA ( Vendee )

GRN Number : 2319538144



-: For Office Use :-



10.10.23

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

पुनः प्रिन्ट किया जाता है कि इस रसीद के माध्यम से मैं कोई सेवा नहीं ली गई है।

शालिनी कर्केटा  
20/10/23

460/2023  
 प्रमाणित स्टाम्प एक्ट 1999 की धारा 46  
 के तहत जारी किया गया है।  
 अधिक जानकारी के लिए  
 कृपया (या स्टाम्प शुल्क सह विम 46  
 का ध्यान रखकर) संपर्कित कीजिए।



Fee Paid 45000/-  
 A1 .....  
 Land Lord Fee 03/-  
 Process Fee 01/-  
 Valuation Per Decimals  
 Land 75000/-

20/10/23

विक्रय सम्पत्ति प्रतिबन्धित भूमि  
 की सूची के अन्तर्गत नहीं है।  
 (अपडेट ऑन लाइन परराक ई)

विक्रय पत्र  
 =====

परमिशन वाद संख्या 119/2023-24 आदेश दिनांक  
 05.09.2023 अन्दर दफा 46 सी.एन.टी.एक्ट

1. नाम लेख्यकारी विधेता :- श्री अजय टेटे उम्र 37 वर्ष पिता  
 स्व० थोमस टेटे दादा स्व० जुसाफ खडिया श्रेणी-अनुसूचित जनजाति  
 सी.एन.टी.एक्ट 46 के अन्तर्गत आते हैं पेशा- खेतीबारी,  
 निवास ग्राम- गोतरा भुंढटोली, थाना- सिमडेगा, जिला-सिमडेगा  
 राज्य- झारखण्ड, राष्ट्रीयता- भारतीय नागरिक।  
 मो० नं०- 8252658629, आधार संख्या- xxxx xxxx 3347  
 पैन कार्ड नं०- बी एम आर पी टी 9187 पी  
 शपथ-पत्र संख्या:- 727

पहचान पत्र - मास्टर प्र  
 पिता - स्व० लोहरावृत्त 102  
 ग्राम - मुहुंदा रोला  
 थाना - सिमडेगा  
 जिला - सिमडेगा  
 तारीख - 22-9-2023

मूल पहचान पत्र एवं अन्य  
 प्रमाण पत्र से मिलान किया सही पाया

मार्ग दर्शिका पंजी से  
 मिलान किया गया।



22-09-2023  
 बाहर

अजय २२

22-9-2023  
20-10-2023



कनिष्ठा अनामिका माध्यमा तर्जनी अंगुष्ठा

20-10-2023

107

महाराष्ट्र में अथवा विद्यमान कानून  
अथवा कि होकरकारी या लेखकारी  
के लिए प्रमाण जो मन्  
के विषय  
प्रमाणित है  
10/10/23



§2§ नाम लेख्यधारिणी §क्रेतिका§:- शांतिनी केरकेट्टा उम्र 44 वर्ष पति श्री राजेश केरकेट्टा पिता स्तानिसलास केरकेट्टा दादा स्तेफन केरकेट्टा श्रेणी- अनुसूचित जनजाति §सी.एन.टी.एक्ट 46 के अन्तर्गत आते हैं। पेशा- खेती गृहिणी, निवास ग्राम- गोतरा भुंढटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा, राज्य- झारखण्ड, राष्ट्रियता- भारतीय नागरिक ।

मो० नं०- 9608394044, आधार संख्या- xxxx xxxx 0776

पैन कार्ड संख्या- सी एच एम पी के 8655 ई

शपथ-पत्र संख्या:- 728 /

§3§ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा दिन के वास्ते बिक्री होता है ।

§4§ मूल्य:- मोबलिंग पन्द्रह लाख रुपये अंके 15,00,000/- रुपये होता है ।

§5§ सम्पति:- संरचना रहित आवासीय योग्य भूमि- विवरण:-

क्रम सं०	जिला	अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
1	सिमडेगा	सिमडेगा	गोतरा भुंढटोली	80	166	3983	0.20 एकड़

सराजियात अन्दर मौजा- गोतरा भुंढटोली, थाना- सिमडेगा, थाना नं० 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के अन्दर खाता नं० 166 §एक सौ छेयासठ§ प्लॉट नं० 3983, §उनचालिस सौ तिरासी§ रकबा 1.34 एकड़ में से 0.20 एकड़ §बीस डिसमिल§ जिसका माप इस प्रकार है-

उत्तर भुजा- 156 फीट,  
दक्षिण भुजा- 100 +.49 + 7 फीट,  
पूरब भुजा - 52 फीट,  
पश्चिम भुजा-57 फीट,

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट पर छोड़ा गया रास्ता 10' चौड़ा,

दक्षिण:- टांड इसी प्लॉट का अंश पीटर टेटे,

पूरब :- टांड इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेता,

पश्चिम:- कच्चा रास्ता 10 फीट,

मालगुजारी 1.00 रुपया अलावे सेस सालाना ।

जासाध - इश्वरसिंह मुकुन्द खोसला  
पिता - स्व० बरदाबास खोसला  
ग्राम - कुडरंगा जोरुपाही  
पत्नी - सिमडेगा  
जिला - सिमडेगा  
ता० - 22-09-2023

दिनांक 22  
22-09-2023

वर्णित बिक्रीत जमीन शहरी क्षेत्र के चार भागों में से आवासीय है जिसपर मकान या किसी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा पेड़ पौधा रहित है जो नगर परिषद, सिमडेगा के वार्ड नं० 02 में अवस्थित है जिसका हॉलिंग नं०- 0020001171000एम० है ।

मैं लेख्यकारी शपथपूर्वक कहता हूँ कि बिक्रीत जमीन को पूर्व में किसी दूसरे व्यक्ति के पास बिक्री, बंधक, लीज, दान या एग्रीमेन्ट नहीं किया गया है ।

§1§ चूंकि मुझ लेख्यकारी को गृह निर्माण के वास्ते रूपयों की आवश्यकता पड़ी जिसकी व्यवस्था बिना जमीन बेचे रूपया मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं पाकर मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन को खरीदने का प्रार्थना किया जिसे उन्होंने जमीन खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

§2§ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारिणी के हाथों नगद कीमत चुकता पाकर बेचा वो बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§3§ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रस्तावित बिक्रीत जमीन खतियानी है जो कायमी नाप हुआ था । उक्त भूमि के खतियानी रैयत भाकु खड़िया वो शानु खड़िया वो छालु खड़िया वो टोमो खड़िया वो धुमा खड़िया पे० दुगलु खड़िया वो चामा खड़िया सो पाडू खड़िया वो करमा खड़िया वो बाजु खड़िया पेशरान मीशरा खड़िया वो बोखा खड़िया वल्द टोमो खड़िया के नाम से विगत रिविजनल सर्वे में नाप कायम हुआ था । चामा खड़िया मेरे परदादा थे । मेरे दादा स्व० जुसाफ खड़िया के एकमात्र पुत्र थोमस टेटे थे, जो मेरे पिता थे, मेरे परदादा चामा खड़िया वो दादा जुसाफ खड़िया वो मेरे पिता थोमस खड़िया की मृत्यु हो चुकी है । इन सब की मृत्यु के उपरान्त

अपय रर  
२१.०९.२०२३

मेरे परदादा की हिस्से की रैयती जमीन को मुझे गैयादी आपसी  
बैठवारा में मिली है जिसपर मैं स्वयं दखलकार हूँ जिसपर किसी  
प्रकार का झगड़ा झंझट या वारदेन नहीं है । उपरोक्त जमीन का  
वर्तमान पंजी II, मारकुस छड़िया वगैरह के नाम से दर्ज है जो  
जो पंजी II के पेज नं० 10, भोल्युम 01, में दर्ज है ।

§4§ चुँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं  
अतः जमीन खरीद विक्री हेतु अनुमति के लिए न्यायालय श्रीमान्  
उप समाहर्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर  
कारशकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया जिसका  
वाद संख्या 118/2023-24 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 05.09.2023  
को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 435§ii§ दिनांक 05.09.2023  
है ।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो  
दखलकार होकर मकान शहन, कुँआ, वारी इत्यादि बनाकर अपने  
उपयोग में लावें वो अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने  
नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से वो अदाय मालगुजारी  
के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के  
लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि विक्रय वाली जमीन भू-हदबन्दी, कैशर-  
ए-हिन्द, खास महल, भू-दान, सैरात, लीज, आम गैर मजल्ला, वन  
भूमि या किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित सूची से संबंधित नहीं है ।

अजय सिंह  
22.09.2023

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।  
सही/-

मोहन देवे  
22-9-2023



मोहन देवे  
22-09-2023

कनिष्ठा अनामिका माध्यमा तर्जनी अंगुष्ठा  
प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के बायें हाथ के पांचों अंगुलियों का निशान मेरे सामने लिया गया ।  
Pranodongdey  
Adv.  
22/09/23

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही/- शशिनी केरकेटा  
22-09-2023



कनिष्ठा अनामिका माध्यमा तर्जनी अंगुष्ठा  
प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी के बायें हाथ के पांचों अंगुलियों का निशान मेरे सामने लिया गया ।  
Pranodongdey  
Adv.  
22/09/23

पहचानी गवाह-सही/-

मोहन देवे  
22-9-2023



कनिष्ठा अनामिका माध्यमा तर्जनी अंगुष्ठा  
प्रमाणित किया जाता है कि लेख्य के पहचानू गवाह के बायें हाथ के पांचों अंगुलियों का निशान मेरे सामने लिया गया ।  
Pranodongdey  
Adv.  
22/09/23

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/-

*Prasad Bungdung*

Adm.

22-09-2023

प्रारूपकर्ता

तारीख:-

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में मेरे द्वारा टंकित हैं जो खण्डन रहित है ।

टंकक

*मो० महबूब*

22-9-2023

मो० महबूब  
कचहरी परिसर,  
सिमडेगा ।

अनुलग्नक:-

1. परमिशन शेड्यूल का मूल प्रति,
2. अंचल रिपोर्ट एवं आदेश की सच्ची प्रतिलिपि,
3. खतियान का छायाप्रति,
4. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
5. हॉल्लिडिंग टैक्स रसीद का छायाप्रति,
6. भिलेज मैप का छायाप्रति,
7. ट्रेस मैप का मूल प्रति,

प्रमाणित किया जाता है कि क्रेता, विक्रेता एवं दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित फोटोयुक्त छायाप्रति दस्तावेज के साथ संलग्न किया है या विवरणी दिया है तो पूर्ण रूप से सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं जाससाजी पाए जाने पर मैं स्वयं इसका जिम्मेदार रहूँगा।

*अमजय टट*

20/10/2023

*अमजय टट*  
22-09-2023